डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय,अयोध्या (उ0प्र0)
DR. RAMMANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY, AYODHYA(U.P.)
पत्रांक संख्याः लो0अ0वि0/ शैक्ष0/ 1395 /2020 दिनांकः 13.07.2020

अधिसूचना

एतदद्वारा सभी सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि Zoom Applicationके माध्यम से दिनांकः 09.07.2020 को सम्पन्न हुई विभागाध्यक्षों एवं अध्ययन बोर्ड के संयोजकों की बैठक में लिये गये निर्णय एवं विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–एक, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–1028/सत्तर–1–2020 दिनांकः 11 जुलाई, 2020 (संलग्न) के कम में आगामी शैक्षणिक सत्र 2020–21 को प्रारम्भ किये जाने के पूर्व सभी विभागाध्यक्षों/अध्ययन बोर्ड के संयोजकों द्वारा अपने विषय में न्यूनतम एक तथा अधिकतम तीन तक विषय समन्वयकों को नियुक्त करते हुए ई–कटेन्ट (PPT प्रजेन्टेशन, ई–नोट्स तथा वीडियों लेक्चर) दिनांकः 31.07.2020 के पूर्व तैयार कराए जाने है। तद्क्रम में अध्ययन बोर्ड के संयोजक सम्बन्धित विषय–समन्वयकों की सूची (नाम, मेल आई0डी0, मोबाइल नम्बर तथा विभाग/महाविद्यालय के नाम सहित) **दिनांकः 15.07.2020 तक** विश्वविद्यालय की मेल आई0डी0 **registrar@rmlau.ac.in** पर तद्सम्बन्धी अधिसूचना निर्गत करने के लिए आवश्यक रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

उपर्युक्त शासनादेश के क्रम में ई–कटेन्ट के निर्माण एवं विश्वविद्यालय की वेब–साइट पर अपलोडिंग व्यवस्था की निगरानी सम्बन्धित विषय के विभागाध्यक्ष/अध्ययन बोर्ड के संयोजक/संकायाध्यक्ष द्वारा की जायेगी। अध्ययन बोर्ड के संयोजकों की संस्तुति पर नियुक्त/अधिसूचित विषय–समन्वयकों को कार्य समाप्ति के उपरान्त ई–कटेन्ट के निर्माण में उनकी सहभागिता हेतु प्रमाण–प्रत्र निर्गत किया जाना भी विचाराधीन है।

तद्क्रम में यह भी उल्लिखित है कि ई–कटेन्ट के संदर्भ में विषय से सम्बन्धित PPT प्रजेन्टेशन दिनांकः 26.07.2020 तक, ई–नोट्स दिनांकः 28.07.2020 तक तथा वीडियों लेक्चर दिनांकः 31.07.2020 तक विभागाध्यक्ष/अध्ययन बोर्ड के संयोजक के माध्यम से विषय–समन्वयकों द्वारा उल्लिखित मेल आई0डी0 पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाय।

कुलसचिव

संलग्नकः– यथोक्त।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त संकायाध्यक्षों को इस आशय से प्रेषित कि उपर्युक्तानुसार अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/समन्वयक/निदेशक को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित विषय–विशेषज्ञों की सूची उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. महाविद्यालयों से सम्बन्धित सभी विषयों के संयोजकों को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार विषय–विशेषज्ञों की सूची उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4. निजी सचिव कुलपति, माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
5. वैयक्तिक सहायक प्रति कुलपति, माननीय प्रति कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
6. वैयक्तिक सहायक कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
7. उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव (गोपनीय/परीक्षा)।
8. प्रोग्रामर, ई0डी0पी0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट तथा महाविद्यालय के कालेज लॉगिन आई0डी0 पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
9. कार्यालयीय प्रति।

कुलसचिव

Scanned with CamScanner

संख्या–1028/सत्तर–1–2020–

प्रेषक,

मनोज कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

2. कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–1

लखनऊ : दिनांक 11 जुलाई, 2020

विषयः– आगामी शैक्षणिक सत्र 2020–21 को प्रारंभ किया जाना एवं अध्ययन–अध्यापन की गतिविधियों तथा शैक्षणिक कैलेण्डर का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 30.06.2020 के माध्यम से अनलॉक 2.0 अवधि के सम्बन्ध में सभी कालेज एवं शैक्षिक संस्थान दिनांक 31.07.2020 तक बन्द रहने तथा फैकल्टी मेम्बर/शिक्षक/शोधकर्ता/शिक्षणेत्तर कर्मचारी को वर्क फ्रॉम होम के माध्यम से ऑनलाइन/दूरस्थ शिक्षा की स्वीकृति प्रदान करते हुए इसे प्रोत्साहित करने का उल्लेख किया गया है। विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं एवं शैक्षणिक कैलेण्डर के निर्धारण के सम्बन्ध में यू0जी0सी0 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश दिनांक 29 अप्रैल, 2020, दिनांक 06 जुलाई, 2020 एवं 08 जुलाई, 2020 द्वारा दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2– कोविड–19 वैश्विक महामारी के दृष्टिगत घोषित लॉकडाउन की अवधि में प्रदेश के विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक कार्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में गृह (गोपन) अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–292/2020–सीएक्स–3 दिनांक 21–4–2020 द्वारा दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं, जिसे उच्च शिक्षा अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–927/सत्तर–3–2020–9(23)/2020 टी0सी0 दिनांक 24 अप्रैल, 2020 द्वारा अनुपालनार्थ प्रेषित किया गया है।

3– उक्त दिशा–निर्देशों तथा शासनादेश दिनांक 24 अप्रैल, 2020 के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश राज्य के विश्वविद्यालयों के आगामी शैक्षणिक सत्र 2020–21 को प्रारंभ किये जाने एवं अध्ययन–अध्यापन की गतिविधियों तथा शैक्षणिक कैलेण्डर का निर्धारिण किये जाने के सम्बन्ध में निम्नांकित निदेश निर्गत किये जाते हैं :–

(1) ई–कन्टेंट की तैयारी : –

- विभागाध्यक्ष/डीन/कुलपतिगण दिनांक 13.07.2020 से विश्वविद्यालय परिसरों में आकर ई–कन्टेन्ट तैयार कराते हुए अपलोड करने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। वर्क फाम होम

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

को प्रोत्साहित किया जाये। कुलपति/डीन/विभागाध्यक्ष द्वारा निरन्तंर उक्त कार्य की समीक्षा की जायेगी ताकि दिनांक 31.07.2020 तक सभी संकायों एवं विषयों के ई-कन्टेन्ट पूरी तरह चिह्नित/तैयार कर लिया जाय। आवश्यकतानुसार कुलपति/डीन/विभागाध्यक्ष द्वारा शिक्षकों तथा शिक्षणेतर कर्मचारियों को विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय परिसर में बुलाया जा सकता है और ई-कन्टेन्ट की तैयारी में मार्गदर्शन करते हुए ई-लेक्चर रिकार्ड कराये जाने, प्रवेश की प्रकिया संचालित किये जाने, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन, परीक्षा परिणाम तैयार किये जाने आदि कार्यों को सम्पादित कराया जा सकता है। रूसा के सहयोग से अनेक विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में स्मार्ट क्लास रूम बनाये गये है। जिनका भरपूर उपयोग इस कार्य हेतु किया जायेगा।

- उक्तानुरूप तैयार किये गए ई-कंटेंट/वीडियो-लेक्चर को प्रत्येक विश्वविद्यालय ओपन-एक्सेस लिंक के साथ पाठ्यक्रमवार अपने वेब-पोर्टल पर उपलब्ध करायें, जिसे सहयुक्त महाविद्यालय के छात्रों के साथ-साथ अन्य विश्वविद्यालयों के छात्र भी डाउनलोड कर लाभ प्राप्त कर सकें।
- आवश्यकतानुसार कुलपति/कुलसचिव शिक्षणेतर कार्मिकों से इस अवधि में परिसर के अन्य प्रशासनिक कार्य, सैनिटाइजेशन आदि से सम्बन्धित कार्यों का निस्तारण करायेंगे।
- इन कार्यों में जब भी फैकल्टी एवं अन्य स्टाफ को बुलाया जाय तो सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेन्सिंग तथा मास्क आदि का अवश्य प्रयोग किया जाय।
- 13 जुलाई से 03 अगस्त तक शिक्षकों द्वारा अभिभावकों के साथ प्रत्यक्ष/दूर संचार एवं अन्य माध्यमों से संवाद स्थापित किया जाय।

(2) प्रवेश प्रक्रिया : –

- सत्र 2020-21 के लिये स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रकिया दिनांक 15 सितम्बर, 2020 तक तथा स्नातकोतर प्रथम वर्ष में 31 अक्टूबर, 2020 तक सम्पन्न कर ली जाय।
- प्रवेश की सम्पूर्ण प्रकिया पूर्णतया ऑनलाइन सम्पादित की जाए।

(3) शैक्षणिक सत्र का प्रारम्भ : –

- स्नातकोत्तर/स्नातक के प्रथम वर्ष को छोडकर स्नातकोत्तर/स्नातक की ऑनलाइन कक्षाएं 04 अगस्त 2020 से प्रारम्भ होगी। स्थितियां सामान्य होने की दशा में दिनांक 01 अक्टूबर, 2020 से कक्षाओं में प्रत्यक्ष पठन-पाठन कार्य प्रारंभ किये जायेंगे।
- नव प्रवेशित स्नातक छात्रों के सम्बन्ध मे सत्र 2020-21 का शिक्षण कार्य स्थितियां सामान्य होने की दशा में दिनांक 01 अक्टूबर, 2020 से प्रारम्भ होगा।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

(4) पठन–पाठन कार्य :–

- पाठ्यक्रम के सापेक्ष प्रथम 45 दिनों (कम से कम) तक सिर्फ ऑन–लाइन कक्षाओं के माध्यम से पठन–पाठन सुनिश्चित किया जाये। उसके पश्चात् ऑन–लाइन के साथ–साथ सामानांतर रूप से, सम्बंधित पाठ्यक्रम मे छात्रों की संख्या के दृष्टिगत, कक्षाओं में छात्रों के ग्रुप का रोटेशन बनाकर भौतिक दूरी रखते हुए छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित की जानी चाहिए। एक वर्ष के छात्र एक सप्ताह भर संस्थान मे भौतिक रूप से उपस्थित हों और उनके 3–4 ग्रुप बनाकर अलग–अलग विषयों की कक्षाएं इस प्रकार आयोजित की जाए कि concentrated capsule में उनकी पृच्छाओ/कठिनाइयों का समाधान किया जा सके। तत्पश्चात दूसरे वर्ष के छात्र दूसरे सप्ताह संस्थान में भौतिक रूप से उपस्थित हो।
- स्मार्ट क्लासरूम की सहायता से भौतिक रूप से संचालित कक्षाओं का विभिन्न 'ऑन–लाइन मीटिंग सॉफ्टवेयर' की सहायता से लाइव टेलीकास्ट सहयुक्त महाविद्यालयों में भी सुनिश्चित किया जाये।
- विमर्श, विश्लेषण तथा समस्या–समाधान हेतु कांटैक्ट–क्लासेस की व्यवस्था की जानी चाहिए, जो कोरोना के प्रकोप को देखते हुए अक्टूबर–नवम्बर से आयोजित की जा सकती है। छात्र–शिक्षक के पारस्परिक सम्बन्ध और शैक्षणिक विमर्श के लिए भौतिक दूरी तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवस्था के दृष्टिगत इस प्रकार की कांटेक्ट–क्लासेज का आयोजन किया जाना उचित होगा ।
- संचालित पाठ्यक्रमों के प्रत्येक प्रश्नपत्र में ट्यूटोरिअल/असाइनमेंट्स/प्रोजेक्ट्स/ऑन लाइन कॉन्टंट डिलीवरी/वीडियो क्लासेज/वर्चुअल लेबोरेटरी की व्यवस्था को समाहित करते हुए यदि आवश्यक हो तो सत्रारंभ से पूर्व पाठ्यक्रम समिति के माध्यम से पाठयक्रम संरचना मे आवश्यक सुधार कर लिए जाएं।
- प्रायोगिक कक्षाओं (Practical Classes) के लिए भी इस प्रकार व्यवस्था बनाई जाए कि यथासंभव Simulation Softwares और Virtual Labs से experiments सिखाए जाएं और जिन प्रयोगों के लिए छात्रों की भौतिक उपस्थिति अनिवार्य हो, उन्हें उक्तानुसार एक–एक सप्ताह मे सिखाया जाए।
- इस पूरी प्रक्रिया के लिए minute strategic planning की आवश्यकता होगी जो शिक्षकों द्वारा 13 जुलाई से 03 अगस्त, 2020 के मध्य सुनिश्चित की जाए।

(5) निरन्तर मूल्यांकन/सेमेस्टर/वार्षिक परीक्षा :–

- मिड–टर्म–परीक्षा/सेशनल–परीक्षा/ट्यूटोरिअल/असाइनमेंट्स/प्रोजेक्ट्स का पाठ्यक्रम में समावेश किये जाने की संस्तुति छात्र के शैक्षिक प्रदर्शन के सतत् मूल्यांकन की दृष्टि से की जा रही है। पाठ्यक्रम में सतत् मूल्यांकन की प्रकिया के समावेश से भविष्य मे कोविड–19 जैसी आकस्मिक स्थिति मे छात्र हित को प्रभावित होने से बचाया जा सकता है।
- सभी पाठ्यक्रमों मे सेशनल परीक्षा के साथ मिड–टर्म परीक्षा का भी प्रावधान किया जाये,

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

जिसे सम्बन्धित विभाग अथवा सहयुक्त महाविद्यालय अपने स्तर से ऑन-लाइन/ऑफ-लाइन माध्यम से सम्पन्न करायें और आवंटित अंकों को विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायें।

- सम्बन्धित विभागों/सहयुक्त महाविद्यालयों द्वारा ट्यूटोरिअल/असाइनमेंट्स/प्रोजेक्ट्स का मूल्यांकन कर उसके अंकों को विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।
- मिड-टर्म-परीक्षा/सेशनल-परीक्षा/ट्यूटोरिअल/असाइनमेंट्स/प्रोजेक्ट्स के सापेक्ष अंको का वितरण सत्रारंभ से पूर्व पाठ्यक्रम समिति के माध्यम से निर्धारित कर लिया जाए। प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए अंको का निर्धारण इस प्रकार किया जाये कि मिड-टर्म/सेशनल-परीक्षा/ट्यूटोरिअल/असाइनमेंट्स/प्रोजेक्ट्स के लिये सेमेस्टर/वार्षिक स्तर पर निर्धारित अंक पूर्णांक के सापेक्ष अधिकतम 50 प्रतिशत हो। मिड-टर्म-परीक्षा/ सेशनल-परीक्षा /ट्यूटोरिअल/असाइनमेंट्स/ प्रोजेक्ट्स मे छात्र को सम्बधित प्रश्नपत्र में प्राप्त कुल अंक का 25 से 50% अंक तक उस प्रश्न पत्र के वार्षिक/सेमेस्टर परीक्षा के अंक में जोड़ कर परीक्षा परिणाम निर्मित किया जाये। वार्षिक/सेमेस्टर परीक्षा के किन्हीं कारणों से न हो पाने की स्थिति मे ये अंक प्रोजेक्ट किए जा सकते हैं।

(6) शैक्षणिक कैलेण्डर :-

विश्वविद्यालयों द्वारा सत्र 2020-21 हेतु शैक्षणिक क्रिया-कलापों के समयबद्ध संपादन के लिए समय-सारणी निम्नवत् प्रस्तावित है विश्वविद्यालय आवश्यकतानुसार ग्रीष्मकालीन/शीतकालीन एवं अन्य अवकाशों में पर्याप्त कटौती करते हुए निम्नांकित समय सारणी के अनुसार अपना शैक्षणिक कैलेन्डर 20 जुलाई 2020 तक अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें :-

1	ई-कन्टेन्ट की तैयारी प्रारम्भ	13 जुलाई 2020
2	प्रथम वर्ष को छोड़कर अन्य कक्षाओं में आनलाइन शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	04 अगस्त, 2020
3	प्रथम वर्ष मे प्रवेश की अंतिम तिथि	15 सितम्बर, 2020
4	स्नातक प्रथम वर्ष की कक्षाओं मे शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	01 अक्टूबर, 2020
4	स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष की कक्षाओं मे शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	01 नवम्बर, 2020
5	मिड-टर्म/बैक पेपर परीक्षा सम्पन्न कराये जाने की अंतिम तिथि	05 दिसम्बर, 2020
6	स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष विषम सेमेस्टर परीक्षा सम्पन्न कराये जाने की अंतिम तिथि	15 मार्च, 2021
7	स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष की वार्षिक परीक्षाओं को सम्पन्न कराये जाने की समयावधि	01 मई से 15 जून, 2021
8	सम सेमेस्टर के लिये मिड-टर्म परीक्षाओं को सम्पन्न कराये जाने की अंतिम तिथि	30 अप्रैल 2021
9	सम सेमेस्टर की परीक्षाओं को सम्पादित कराये जाने की अंतिम तिथि पी0जी0 प्रथम वर्ष	30 जून 2021
10	वार्षिक परीक्षाओं के परिणाम घोषित किये जाने की अंतिम तिथि	15 जून 2021

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

4- कोविड-19 वैश्विक महामारी को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालयों का सत्र नियमित रहे एवं छात्रों का भविष्य सुरक्षित हो, इस परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को ध्यान में रखते हुए सभी विश्वविद्यालयों से यह अपेक्षित है कि विश्वविद्यालय उक्त मार्गदर्शी गाइडलाइन विकल्पों को ध्यान में रखते हुये अपनी परिनियमावलियों एवं अपने छात्रों की आवश्यकता के अनुरूप अपने कार्य परिषद्/सक्षम प्राधिकारी के स्तर से सम्यक् विचार कर निर्णय लें। कोविड-19 के सम्बन्ध में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों का भी कडाई से अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा।

कृपया उक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(मनोज कुमार)
विशेष सचिव

संख्या- 1028 (1)/सत्तर-1-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(2) समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(3) गृह (गोपन) अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) निजी सचिव, उप मुख्यमंत्री/राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।
(5) निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सर्वेश कुमार सिंह)
उप सचिव।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner